

भेदो भूव

रत्नमार्ग

पटना, शुक्रवार, 21 जनवरी, 2011

■ फुटपाथ दुकानदारों का राज्यस्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते मंत्री प्रेम कुमार, अश्विनी कुमार चौबे व अन्य



20 जनवरी, 2011 वैदर्भ दिवस के अवसर पर फुटपाथ दुकानदारों का सम्मेलन का उद्घाटन करते मंत्री प्रेम कुमार, अश्विनी कुमार चौबे व अन्य

फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून बने : नासवी

कार्यालय प्रतिनिधि

पटना : नेशनल एसीसिएशन आफ स्ट्रीट वेंडर्स आफ इंडिया नासवी ने वेंडरों की आजीविका और समाजिक सुरक्षा के लिये केन्द्र और राज्य सरकार से कानून बनाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। नासवी ने देशव्यापी वेंडर दिवस अभियान के मौके पर श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्मेलन में सरकार से वर्ष 2004 में बनी राष्ट्रीय फेरी नीति पर गंभीरतापूर्वक अमल करने और राज्य के फुटपाथ दुकानदारों के लिये कानून बनाने की मांग की। सम्मेलन में नासवी के कार्यक्रम समन्वयक रंजीत अभिज्ञान द्वारा पांच सूत्री प्रस्ताव को भी पारित किया गया। प्रस्ताव में 2004 की फेरी नीति पर गंभीरता पूर्वक अमल करने, सड़क के संपूर्ण हिस्से का 2.5 प्रतिशत वेंडरों के लिये छोड़ने, शिकायत निवारण तंत्र बनाने, टाउन वेडिंग कमिटियों में वेंडरों को उचित प्रतिनिधित्व देने और उनके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन को घटनाओं में कठोरतम सजा का प्रावधान करने की मांग की गयी है। नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने आश्वासन दिया कि सरकार वेंडरों के लिये कानून बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद अली अनवर, नासवी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द सिंह और ट्रेड यूनियन नेता चन्द्र प्रकाश सिंह भी उपस्थित थे।

पटना। प्रदेश के नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जब तक यहां के लोगों का विकास नहीं होगा राज्य का विकास असंभव है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार शीघ्र ही शहरी गरीबों, विशेषकर फुटपाथी दुकानदारों तथा वेंडरों के कल्याण के लिए कानून बनाने जा रही है।

श्री कुमार ने ये बातें बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में नेशनल एप्लोसिशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी) की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इसमें नासवी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से 2004 में बनी राष्ट्रीय फेरी नीति पर गंभीरतापूर्वक अमल करने और प्रदेश के फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून बनाने की मांग की।

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि शहरी गरीबों तथा फुटपाथी दुकानदारों की समस्या को लेकर

राज्य सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। पिछले शासनकाल के दौरान जब वे नगर विकास मंत्री थे, तब टेकेचारी प्रथा बंद कर दी थी। इससे फुटपाथी दुकानदारों का शोषण काफी हद तक कम हो गया है। उन्होंने कहा कि गरीब वेंडरों के लिए हेल्थ इश्योरेंस की योजना लाई जाएगी जिससे उनका मुफ्त इलाज संभव हो सकेगा। श्रम मंत्री जनार्दन सिंह सिग्नीवाल ने वेंडरों को श्रम अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए नासवी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद सिंह ने कहा कि उनके सत्र का बाध टूट रहा है। सरकार के समेलन को सुनते-सुनते थक गए हैं। वक्त का तकाजा है कि प्रदेश सरकार इन वेंडरों की आवाज को सुने और टूट राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए गरीब शहरी वेंडरों के लिए शीघ्र कानून बनाए। सम्मेलन में नासवी के कार्यक्रम समन्वयक रंजीत अभिज्ञान ने एक पांच सूची प्रस्ताव भी पारित किया। इन प्रस्तावों में 2004 में बनी राष्ट्रीय फेरी नीति पर गंभीरतापूर्वक अमल करने, शीघ्र कानून बनाने और ऐसे कानून में नेचुरल मार्केट बनाने, सड़क के सम्पूर्ण हिस्से का 2.5 प्रतिशत वेंडिंग के लिए छोड़ने, शिकायत निवारण तंत्र बनाने, टाउन वेंडिंग कमेटीयों में वेंडरों को उचित प्रतिनिधित्व देने और सभी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर कठोर सजा का प्रावधान करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इस दौरान यहां राज्यसभा सांसद अली अनवर, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, नासवी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद सिंह, ट्रेड यूनियन नेता चंद्र प्रकाश सिंह, निदान के कार्यक्रम प्रबंधक राकेश त्रिपाठी एवं संजय कुमार, नासवी के कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत अभिज्ञान और सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के कार्यक्रम समन्वयक अमितचंद्र समेत विभिन्न लोगों ने संबोधित किया।



वादा : श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित महासम्मेलन में मंत्री प्रेम कुमार व अश्विनी चौबे।

फुटपाथी दुकानदारों के लिए बनेगा कानून : प्रेम कुमार

विभिन्न राज्यों की वेंडर पॉलिसी

- ▶ **आंध्र प्रदेश** - इस राज्य ने वर्ष 2004 की राष्ट्रीय पॉलिसी को स्वीकृत किया गया है। हाल में यहां की सरकार ने 'द आंध्र प्रदेश स्ट्रीट वेंडर्स बिल-2010' बनाया, लेकिन फिलहाल इसे विधायनसभा में पारित नहीं कराया जा सका है।
- ▶ **तमिलनाडु** - तमिलनाडु सरकार ने दुकानदारों के लिए तमिलनाडु पेटी सेटाप एंड स्ट्रीट वेंडिंग वर्कर्स बोर्ड का गठन किया है। हालांकि राज्य स्तरीय पॉलिसी या नियम के प्रति यह बोर्ड गंभीर नहीं है, जिससे वेंडरों में काफी नाराजगी है।
- ▶ **केरल** - फुटपाथी दुकानदारों की समस्याओं को लेकर केरल सरकार के 'फिला' और 'सेवा' नाम के दो संगठनों ने खाका बनाकर राज्य सरकार को सौंपा है। केरल सरकार इस ड्राफ्ट के आधार पर कानून बनाने पर विचार कर रही है।
- ▶ **कर्नाटक** - यहां अभी तक फुटपाथी दुकानदारों तथा वेंडर के लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है।
- ▶ **बिहार** - वेंडरों के कल्याण के लिए अभी तक कोई बेहतर प्रयास शुरू नहीं किया गया है। राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही यहां फुटपाथी दुकानदारों के कल्याण के लिए कोई नीति बनायी जाएगी।
- ▶ **दिल्ली** - क्षेत्रीय प्राधिकार, दिल्ली ने वेंडरों के लिए एक राष्ट्रीय नीति के आधार पर योजना बनायी है। इसके तहत राजधानी में 272 बाई वेंडिंग कमेटी, 12 जेनरल वेंडिंग कमेटी बनायी है।
- ▶ **और एमसीडी स्तर की एक कमेटी का गठन किया गया है।**
- ▶ **महाराष्ट्र** - यहां के फुटपाथी दुकानदारों तथा वेंडरों के लिए राज्य सरकार ने 'हॉर्सर्स पॉलिसी-2009' बनायी है।
- ▶ **मध्य प्रदेश** - वेंडरों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक देशभर में सबसे अच्छा प्रयास किया है। राज्य सरकार की ओर से 90,000 स्ट्रीट वेंडरों को परिचय पत्र दिया गया है तथा उनके लिए 14,00 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खालियार और उज्जैन जैसे शहरों में विशेष वेंडिंग जोन का विकास किया जा रहा है।
- ▶ **झारखंड** - यहां 'अरबन स्ट्रीट वेंडर' एक्ट-2010 बनाया है। इस नये एक्ट से यहां के वेंडरों को काफी उम्मीदें हैं।
- ▶ **उड़ीसा** - उड़ीसा सरकार राष्ट्रीय पॉलिसी को ही राज्य में क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है।
- ▶ **राजस्थान** - राजस्थान सरकार भी राष्ट्रीय पॉलिसी को ही क्रियान्वित करने जा रही है, इसके लिए वहां की सरकार शीघ्र ही कानून बनाने के लिए प्रयासरत है।
- ▶ **उत्तर प्रदेश** - यहां की सरकार ने 'द उत्तर प्रदेश अरबन वेंडिंग एंड बिजनेस ऑन रोड पैवमेंट्स रूल्स पॉलिसी-2007' बनायी है। इसमें सिटी वेंडिंग कमेटी, वॉर्ड वेंडिंग कमेटी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। यह संस्था वेंडरों को परिचय-पत्र जारी करती है।
- ▶ **पश्चिम बंगाल** - यहां की सरकार ने वेंडरों के लिए 'वेस्ट बंगाल अरबन स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी-2010' बनायी है।